

राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2 (9) नि.कृ./गो.प्र./2016-17/

दिनांक

आयुक्त सीएडी, कोटा
निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर
निदेशक, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, जयपुर
प्रबन्ध निदेशक, राज0 राज्य बीज निगम लि0 जयपुर
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
निदेशक, समेती, दुर्गापुरा, जयपुर
अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, जयपुर
संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड (समस्त)

विषय:- दिनांक 01.01.2017 की अचल सम्पत्ति की सूचना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात एक जनवरी की स्थिति अनुसार प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अचल सम्पत्ति की सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सूची अनुसार दिनांक 01.01.2017 की अचल सम्पत्ति की सूचना आदिनांक तक बकाया है। अतः 15 दिवस के अन्दर उक्त सूचना शीघ्रातिशीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।


ए0/-

(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक : प.2 (9) नि.कृ./गो.प्र./2016-17/ 1314-1415 दिनांक 13/11/17

प्रतिलिपि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।



संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)